

प्ररूप

आ.का.वि -5

भारतीय आयकर विवरणी
(अनुषंगी फायदा कर विवरणी सहित)
[फर्मों, एओपी और बीओआई के लिए]
(कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें)
(संलग्न अनुदेश भी देखें)

निर्धारण वर्ष

2009 - 10

भाग क-साधारण

साधारण

व्यक्तिगत जानकारी	नाम				स्थायी लेखा संख्यांक			
	क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, कृपया पुराना नाम दें							
	फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं0		परिसर/भवन/ग्राम का नाम			विवरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
	सड़क/गली/डाकघर		क्षेत्र/अवस्थान			प्रास्थिति (फर्म-1, स्थानीय प्राधिकारी-2, सहकारी बैंक-3, सहकारी सोसाइटी-4, अन्य एओपी/ बीओआई कृतिम विधिक व्यक्ति-5) <input type="checkbox"/>		
	नगर/शहर/जिला		राज्य		पिनकोड		धारा- के अधीन फाइल की गई विवरणी (कोड प्रविष्ट करें) <input type="checkbox"/>	
ई-मेल पता				(एसटीडी कोड) फोन नं0				
निर्धारण अधिकारी का पदान				क्षेत्र कोड	एओ टाइप	रेंज कोड	एओ सं0	आय कर <input type="checkbox"/> अनुषंगी फायदे <input type="checkbox"/>
विवरणी मूल या पुनरीक्षित? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> मूल <input type="checkbox"/> पुनरीक्षित <input type="checkbox"/>								
यदि पुनरीक्षित है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं0 और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)								
निवास संबंधी प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी <input type="checkbox"/> निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहीं								
अनिवासी की दशा में, क्या भारत में कोई स्थायी स्थापन है ?(सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं								
क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं								
यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें-								
(क)	प्रतिनिधि का नाम							
(ख)	प्रतिनिधि का पता							
(ग)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा सं0							
क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं								
क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें								
(क)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम							
(ख)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या							
(ग)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)							
(घ)	संपत्तिक/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं0)							
(ङ)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख							

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

प्राप्ति सं0

तारीख

प्राप्तकर्ता पदधारी की मोहर और हस्ताक्षर

अ. क्या पूर्ववर्ष में फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएं) हां नहीं

आ. उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जो 31 मार्च, 2009 को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार/सदस्य थे

क्र.सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्यां

कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति है तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं

कारबार का स्वरूप

क्र.सं.	कोड (कृपया अनुदेश सं0 9(ii) देखें)	वर्णन
(i)		
(ii)		
(iii)		

भाग क- बीएस

31 मार्च, 2009 को यथाविद्यमान तुलन पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद 1 से 5 भरें अन्यथा 6 भरें)

निधियों के स्रोत	1	भागीदार/सदस्यता निधि	
	क	भागीदार/सदस्यता पूंजी	क
	ख	आरक्षितियां और अधिशेष	
	i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खां
	ii	पूंजी आरक्षिति	खii
	iii	कानूनी आरक्षिति	खiii
	iv	कोई अन्य आरक्षिति	खiv
	v	योग (खां+खii+खiii+खiv)	खv
	ग	कुल भागीदारी निधि (क +खv)	1ग
	2	ऋण निधि	
	क	प्रतिभूत ऋण	
	i	विदेशी करेंसी ऋण	का
	ii	रुपए ऋण	
	अ	बैंकों से	iiअ
	आ	अन्य से	iiआ
	इ	योग (iiiअ+iiiआ)	iiइ
	iii	योग (का+ii ग)	कiii
	JÉ	अप्रतिभूत ऋण (निक्षेप सहित)	
	i	बैंकों से ऋण	JÉi
	ii	अन्य से	JÉii
iii	योग (खi + खii)	खiii	
MÉ	योग ऋण निधि (कiii + खiii)	2ग	
3	आस्थगित कर दायित्व	3	
4	निधि के स्रोत (1ग+2ग+3)	4	
1	नियत आस्तियां		
क	सकल :समूह	1क	

	ख	अवक्षयण	1ख		
	ग	शुद्ध समूह (क-ख)	1ग		
	घ	प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ		
	ङ	योग (1ग+1घ)		1ङ	
2	विनिधान				
	क	दीर्घकालिक विनिधान			
		i सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां-कोट की गई	का		
		ii सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां-कोट न की गई	काii		
		iii योग (का+काii)		काiii	
	ख	अल्पकालिक विनिधान			
		i साधारण शेयर	खां		
		ii अधिमानी शेयर	खाii		
		iii डिबेंचर	खाiii		
		iv योग (खां+खाii+खाiii)		खाiv	
	ग	कुल विनिधान (काiii+खाiv)		2ग	
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम				
	क	चालू आस्तियां			
		i सूचियां			
		अ भंडार, रसायन और पैकिंग सामग्री	iअ		
		आ कच्चा माल	iआ		
		इ प्रगतिगत स्टॉक	iइ		
		ई तैयार माल/व्यापारगत माल	iई		
		उ योग (iअ+iआ+iइ+iई)		iउ	
		ii विविध देनदार		काii	
		iii नकदी और बैंक अतिशेष			
		अ हाथ में नकदी	iii अ		
		आ बैंक में अतिशेष	iii आ		
		इ योग (iii अ+iii आ)		iii इ	
		iv अन्य चालू आस्तियां		काiv	
		v कुल चालू आस्तियां (iउ+ काii+iiiइ+ क iv)		कv	
	ख	ऋण और अग्रिम			
		i नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खा		
		ii निक्षेप उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य	खाii		
		iii राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष, आदि	खाiii		
		iv योग (खा + खाii +खाiii)		खाiv	
	ग	योग (क v+ ख v)		3ग	
	घ	विद्यमान दायित्व और उपबंध			
		i विद्यमान दायित्व और उपबंध			
		अ विविध लेनदार	iअ		
		आ पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ		
		ऊ उपरोक्त पर प्रोद्भूत ब्याज	iइ		
		ए ऋण पर प्रोद्भूत किन्तु शोध्य नहीं ब्याज	iई		
		ऐ योग (iअ+iआ +iइ +iई)		iउ	
		ii उपबंध			
		अ आयकर के लिए उपबंध	iiअ		
		आ अनुषंगिक फायदा कर के लिए उपबंध	ii आ		
		इ धन कर के लिए उपबंध	ii इ		
		ई छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्षिता-उपदान के लिए उपबंध	iiई		
		उ अन्य उपबंध	iiउ		
		ऐ योग (iiअ+iiआ +iiइ +iiई+iiउ +iiऊ +iiए)		ii ए	
		iii योग (iउ+iiए)		घiii	
	ङ	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii)		3ङ	

	4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क	
		ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख	
		ग	लाभ और हानि लेखा/एकत्रित शेष	4ग	
		घ	योग (4क + 4ख + 4ग)		4घ
		5	निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)		5
लेखा न होने की दशा	6		उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, कारबार या वृत्ति की लागत 31 मार्च, 2007 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें		31
		क	विविध देनदारों की कुल रकम		6क
		ख	विविध लेनदारों की कुल रकम		6ख
		ग	व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम		6ग
		घ	नकद अतिशेष की रकम		6घ

भाग क-लाभ और हानि पूर्ववर्ष 2008-09 के लिए लाभ और हानि (उस दशा में जहां नियमित लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं, मद 1 से 51 भरें, अन्यथा 52 भरें)

लाभ-हानि लेखे में जमा	1		कारबार या वृत्ति के विक्रय/सकल प्राप्तियां (शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो)		1
	2		विक्रीत या प्रदत्त माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर		
		क	संघ उत्पाद शुल्क	2क	
		ख	सेवा कर	2ख	
		ग	मूल्यवर्धित कर/विक्रय कर	2ग	
		घ	कोई अन्य शुल्क, कर और उपकर	2घ	
		ड	प्राप्त या प्राप्य शुल्कों, करों और उपकर का योग (1क+1ख+1ग+1घ)		2ड
	3		अन्य आय		
		क	किराया	3क	
		ख	कमीशन	3ख	
	ग	लाभांश	3ग		
	घ	ब्याज	3घ		
	ड	विक्रय या नियत आस्तियों पर लाभ	3ड		
	च	ऐसे विनिधान के विक्रय पर लाभ, जो प्रतिभूति संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य प्रतिभूतियां हैं	3च		
	छ	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	3छ		
	ज	करेंसी उतार-चढ़ाव पर लाभ	3ज		
	झ	कृषि आय	3झ		
	ञ	कोई अन्य आय	3ञ		
	ट	अन्य आय का योग [(i) से (x)]		3ट	
	4		बंद स्टॉक		4
	5		लाभ-हानि लेखे में जमा का योग (1+2ड+3ट+4)		5
लाभ-हानि लेखे से विकलन	6		आरंभिक स्टॉक		6
	7		क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)		7
	8		क्रय किए गए माल और सेवाओं की बाबत संदत्त या संदेय शुल्क और कर		
		क	सीमा शुल्क	8क	
		ख	प्रति शुल्क	8ख	
		ग	विशेष अतिरिक्त शुल्क	8ग	
		घ	संघ उत्पाद शुल्क	8घ	
		ड	सेवा कर	8ड	
		च	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	8च	
		छ	कोई अन्य कर, संदत्त या संदेय	8छ	
		ज	योग (8क+8ख+8ग+8घ+8ड+8च+8छ)		8ज
	9		भाड़ा		9
	10		भंडारों और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग		10
	11		विद्युत और ईंधन		11
	12		किराया		12
13		भवन की मरम्मत		13	
14		मशीनरी की मरम्मत		14	
15		कर्मचारियों को प्रतिकर			

	क	वेतन और मजदूरी	15क		
	ख	बोनस	15ख		
	ग	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	15ग		
	घ	छुट्टी नकदीकरण	15घ		
	ङ	छुट्टी यात्रा फायदा	15ङ		
	च	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	15च		
	छ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	15छ		
	ज	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	15ज		
	झ	किसी अन्य निधि में अभिदाय	15झ		
	ञ	कर्मचारियों को कोई ऐसा अन्य फायदा, जिसकी बाबत कोई व्यय उपगत किया गया है	15ञ		
	ट	संदत्त और संदेय अनुषंगी फायदा कर	15ट		
	ठ	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (15क+15ख+15ग+15घ+15ङ +15च+15छ+15ज+15झ+15ञ+15ट)	15ठ		
16	बीमा				
	क	चिकित्सा बीमा	16क		
	ख	जीवन बीमा	16ख		
	ग	प्रमुख व्यक्ति का बीमा	16ग		
	घ	अन्य बीमा	16घ		
	ङ	बीमा पर कुल व्यय (16क+16ख+16ग+16घ)	16ङ		
17	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय			17	
18	मनोरंजन			18	
19	सत्कार			19	
20	सम्मेलन			20	
21	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)			21	
22	विज्ञापन			22	
23	कमीशन			23	
24	होटल, बोर्डिंग और वासा			24	
25	विदेश यात्रा सहित यात्रा व्यय			25	
26	वाहन खर्च			26	
27	टेलीफोन व्यय			27	
28	अतिथि गृह व्यय			28	
29	क्लब व्यय			29	
30	उत्सव समारोह व्यय			30	
31	छात्रवृत्ति			31	
32	दान			32	
33	संदान			33	
34	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय रेट और कर (आय पर करों को छोड़कर)				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	34क		
	ख	सेवा कर	34ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	34ग		
	घ	उपकर	34घ		
	ङ	एसटीटी सहित कोई अन्य रेट, कर, शुल्क या उपकर	34ङ		
	च	संदत्त या संदेय कुल रेट और कर (34क+34ख+34ग+34घ+34ङ)	34च		
35	लेखा परीक्षा शुल्क			35	
36	अन्य व्यय			36	
37	डूबंत ऋण			37	
38	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध			38	
39	अन्य उपबंध			39	
40	ब्याज, अवक्षयण और करों से पूर्व लाभ [5 -(6+7+8छ +9से 14+15ठ +16क +17से 33+34च+35 से 39)]			40	
41	ब्याज			41	
42	अवक्षयण			42	
43	कर पूर्व लाभ (40-41-42)			43	
44	चालू कर के लिए उपबंध			44	
45	अनुषंगी फायदा कर के लिए उपबंध			45	

	46	आस्थगित कर के लिए उपबंध	46	
	47	कर पश्चात् लाभ (43-44-45-46)	47	
	48	पूर्व वर्ष से अग्रणीत बकाया	48	
	49	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम	49	
	50	आरक्षितियों और अधिशेष में अंतरित	50	
	51	भागीदार के लेख में तुलन पत्र में लिया गया बकाया (49-50)	51	
लेखा न होने का मामला	52	उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, कारबार या वृत्ति की बाबत पूर्व वर्ष 2008-09 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें		
		क सकल प्राप्तियां	52क	
		ख सकल लाभ	52ख	
		ग व्यय	52ग	
		घ शुद्ध लाभ	52घ	

भाग क- अन्य जानकारी अन्य जानकारी (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	3	धारा 145 के अधीन विहित लेखा मानकों से पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति में विचलन के कारण, यदि कोई हो, लाभ पर प्रभाव	3
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	
		क कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)	<input type="checkbox"/>
		घ धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	4घ
	5	लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई रकम, जो-	
		क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क
		ख सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवाकर का प्रोफार्मा जमा, वापसी, प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्य वर्धित कर का प्रतिदाय, जहां ऐसा जमा, वापसी या प्रतिदायों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा देय माना गया है	5ख
		ग पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
		घ आय की कोई अन्य मद	5घ
		ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
		च लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च
	6	धारा 36 के अधीन नामंजूर सीमा तक लाभ-हानि लेखों में विकलित रकम-	
		क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6क
		ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम	6ख
		ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभान्श के रूप में अन्यथा संदेय थी	
		घ उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम	6घ
		ङ जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम	6ङ
		च किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6च
		छ अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम	6छ
		ज मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम	6ज
		झ किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6झ
	ञ डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम	6ञ	
	ट डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध	6ट	
	ठ किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम	6ठ	
	ड कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय	6ड	
	ढ नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि	6ढ	
	ण कोई अन्य अननुज्ञेय	6ण	

	त	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ण का योग)	6त	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
	क	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय	7क	
	ख	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय	7ख	
	ग	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ग	
	घ	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7घ	
	ङ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7ङ	
	च	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7च	
	छ	ऐसी आय के संबंध में व्यय की रकम, जो कुल आय का भाग नहीं बनती	7छ	
	ज	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ज	
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)	7झ	
8	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i), धारा 40 (क)(i)क और धारा 40 (क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
	JÉ	अनुषंगी लाभ कर के रूप में संदत्त रकम	अख	
	MÉ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम	अग	
	PE	घनकर के रूप में संदत्त रकम	अघ	
	R	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम	अङ	
	SE	कोई अन्य अननुज्ञेय	अच	
	U	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अच का योग)	अछ	
				8अU
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
	ख	एकाउन्ट पेई चेक या एकाउन्ट पेई बैंक ड्राफ्ट से भिन्न संदत्त धारा 40क(3) के अंतर्गत अनुज्ञेय -100 % अनुज्ञेय	9ख	
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध	9ग	
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि	9घ	
	R	कोई अन्य अननुज्ञेय	9R	
	SE	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क ओर 9ङ का योग)		9 SE
10	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च	
	छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10छ
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क	
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	

	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक से ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11च का योग)		11छ	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	कोई अन्य कर	12घ		
	ङ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12घ का योग)		12ङ	
13	धारा 33कख या धारा 33कघ या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें				13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15

भाग क-परिणात्मक व्यौर परिणात्मक व्यौर (धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी न होने की दशा में वैकल्पिक)

परिणात्मक व्यौर	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टॉक		1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3	
	4	बंद स्टॉक		4	
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो		5	
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री			
		क	आरंभिक स्टॉक	6क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ	
		ङ	बंद स्टॉक	6ङ	
		च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च	
		छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ	
		ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
	7.	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद			
		क	आरंभिक स्टॉक	7क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
		ङ	बंद स्टॉक	7ङ	
		च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

भाग ख-कुल आय		कुल आय की संगणना		
1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)			1
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ			
	i	सट्टेबाजी के कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बीपी का ए 37) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2i	
	ii	सट्टेबाजी के कारबार से लाभ और हानि (अनुसूची-बीपी का बी 41) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2ii	
	iii	योग (2i+2ii) शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि और यह अंकित अनुसूची सीवाईएलए की हानि में है	2iii	
3	पूँजी अभिलाभ			
	क	अल्पकालिक		

	i	अल्पकालिक (धारा 111क के अधीन)(अनुसूची-सीजी का क7) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3क		
	ii	अल्पकालिक (अन्य) (धारा 111क के अधीन)(अनुसूची-सीजी का क8) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3कii		
	iii	कुल अल्पकालिक (3कi+3कii)	3कiii		
	ख	दीर्घकालिक (अनुसूची-सीजी का बी6) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3ख		
ग	कुल पूंजी अभिलाभ (3कiii+3ख) (अनुसूची सीवाईएलए को समायोजित आंकड़े लें)	3ग			
4	अन्य स्रोतों से आय				
	क	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न स्रोत से (अनुसूची ओएस का 3) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4क		
	ख	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से (अनुसूची ओएस का 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4ख		
	ग	योग (4क+4ख)	4ग		
5	योग (1+2ग+3ग+4ग)				5
6	6 के संबंध में मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2vii, 3vii और 4vii का योग)				6
7	चालू वर्ष की हानि के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (6-7)				7
8	6 के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानि या (अनुसूची बीएफएलए के 2vii, 3vii और 4vii का योग)				8
9	सकल कुल आय (6-7-8)(अनुसूची बीएफएलए के 5viii भी)				9
10	अध्याय 6-क के अधीन कटौतियां (अनुसूची 6क का ट)				10
11	कुल आय (10-11)				11
12	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 4)				12
13	कुल आय (11+12)				13
14	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची सीएफएल के xi का योग)				14

भाग ख-कुल आय पर कर दायित्व

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

	1	कुल आय पर संदेय कर			
		क	सामान्य दरों पर कर	1क	
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का 11)	1ख	
	2	कुल आय पर संदेय कर (1क+1ख)		2	
	3	2 पर अधिभार		3	
	4	(2+3) पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा सहित शिक्षा उपकर		4	
	5	सकल कर दायित्व (2+3+4)		5	
	6	कर राहत			
		क	धारा 90	6क	
		ख	धारा 91	6ख	
	ग	योग (6क+6ख)		6ग	
	7	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग)		7	
	8	संदेय ब्याज			
		क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234क)	8क	
		ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234ख)	8ख	
		ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए (धारा 234ग)	8ग	
	घ	संदेय कुल बकाया (9क+9ख+9ग)		8घ	
	9	कुल दायित्व (7+8घ)		9	
संदत कर	10	संदत कर			
		क	अग्रिम कर (अनुसूची-आईटी से)	10क	
		ख	स्रोत पर काटा गया कर (अनुसूची-टिडीएस2 का स्तंभ 9)	10ख	
		ग	टीसीएस (अनुसूची-सीटीएस का स्तंभ 8)	10ग	
		घ	स्वतः निर्धारण (अनुसूची-आईटी से)	10घ	
	ङ	कुल संदत कर (10क+10ख+10ग+10घ)		10ङ	
11	संदेय रकम (यदि 10, 11ङ से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)		11		
12	प्रतिदाय (यदि 11ङ, 10 से अधिक है, अनुसूची -बीए में बैंक खते के ब्यारे भी दें)		12		

अनुषंगी फायदों की संगणना	1	अनुषंगी फायदों का मूल्य			
		क	पहली तिमाही के लिए	1क	
		ख	दूसरी तिमाही के लिए	1ख	
		ग	तीसरी तिमाही के लिए	1ग	
		घ	चौथी तिमाही के लिए	1घ	
		ङ	कुल अनुषंगी फायदे (1क+1ख+1ग+1घ)	1ङ	
	2	संदेय अनुषंगी फायदा कर [1ङ का 30%]			2
	3	2 पर अधिभार			3
	4	(2+3) पर शिक्षा उपकर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर			4
	5	कुल अनुषंगी फायदा कर दायित्व (2+3+4)			5
6	संदेय ब्याज				
	क	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए (धारा 115बज)	6क		
	ख	विवरण फाइल करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 115बट)	6ख		
	ग	संदेय कुल ब्याज		6ग	
7	कुल दायित्व (5+6ग)			7	
8	संदत कर				
	क	अग्रिम अनुषंगी फायदा कर (अनुसूची-एफबीटी से)	8क		
	ख	स्वतः निर्धारण पर (अनुसूची-एफबीटी से)	8ख		
	ग	कुल संदत कर (8क+8ख)		8ग	
9	संदेय कर (यदि 7, 8ग से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)			9	
10	प्रतिदाय (यदि 8ग, 7 से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)			10	

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ स्थायी लेखा संख्यां,.....का धारक हूँ सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण हैं और उसमें दर्शित कुल आय/अनुषंगी फायदों की रकम और अन्य विशिष्टियां निर्धारण वर्ष 2009-10 से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए आयकर से प्रभार्य आय और अनुषंगी फायदों की बाबत सही कथित की गई हैं और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की अपनी हैसियत में यह विवरणी दे रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी देने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ।

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें→

अनुसूची-बीए	प्रतिदाय की दशा में, कृपया उस बैंक खाते की बाबत निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें, जिसमें प्रतिदाय जमा किया जाना है।									
1	अपना बैंक खाता संख्यांक लिखें (प्रतिदाय की दशा में अनिवार्य)									
2	क्या आप अपना प्रतिदाय <input type="checkbox"/> चेक, या <input type="checkbox"/> आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके चाहते हैं? (जैसा लागू हो सही का निशान लगाएँ)									
3	आपके बैंक खाते में सीधे जमा करने की दशा में, अतिरिक्त ब्यौरे दें									
एमआईसीआर कोड					खाते का प्रकार (जैसा लागू हो सही का निशान लगाएँ)					<input type="checkbox"/> बचत <input type="checkbox"/> चालू

अनुसूची-एचपी गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (कृपया अनुदेश निर्दिष्ट करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड
		<input checked="" type="checkbox"/> सही का निशान <input type="checkbox"/> यदि किराए पर दिया है <input type="checkbox"/>		किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)
		क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्य किराया (अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)	1क	
		ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख	
		ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है	1ग	
		घ	योग (1ख+1ग)	1घ	
		ङ	बकाया (1क-1घ)		1ङ
		च	1ङ का 30%	1च	
		छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1छ	
		ज	योग (1च+1छ)		1ज
	झ	गृह संपत्ति से आय 1(1ङ-1ज)		1झ	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड	

	(सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर दिया है <input type="checkbox"/>	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)			
क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्य किराया(अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)		2क			
ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख				
ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है	2ग				
घ	योग (2ख+2ग)	2घ				
ङ	बकाया(2क-2घ)	2ङ				
च	2ङ का 30%	2च				
छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2छ				
ज	योग (2च+2छ)		2ज			
झ	गृह संपत्ति से आय 2(2ङ-2ज)		2झ			
3	संपत्ति 3 का पता	नगर/शहर	राज्य	पिनकोड		
	(सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> यदि किराए पर दिया है <input type="checkbox"/>	किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक (वैकल्पिक)			
क	वार्षिक किराया योग्य मूल्य/प्राप्त या प्राप्य किराया(अधिक है, यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दिया गया है, कम है, यदि वर्ष के भाग के लिए किराए पर दिया गया है)		3क			
ख	किराए की वह रकम, जो वसूल नहीं की जा सकती	3ख				
ग	कर, स्थानीय प्राधिकरणों को संदाय किया जाता है	3ग				
घ	योग (3ख+3ग)	3घ				
ङ	बकाया(3क-3घ)	3ङ				
च	3ङ का 30%	3च				
छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	3छ				
ज	योग (3च+3छ)		3ज			
झ	गृह संपत्ति से आय 3(3ङ-3ज)		3झ			
4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय					
क	धारा 25क/कक के अधीन वसूल किया गया पूर्ववर्ष का किराया		4क			
ख	30% की कटौती करने के पश्चात् धारा 25ख के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया कर		4ख			
ग	योग (4क+4ख+1i+2i+3i)		4ग			

अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क पी और एल का मद 43 या मद 52घ)	1		
		2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	2		
		3	आय के अन्य शीर्षों के अधीन समझे गए लाभ और हानि लेखा में जमा आय/रशीदें	3		
		4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/44कङ/44कच/44खख/44खखक/44खखख/अध्याय 12छ/पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है	4		
		5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है			
		क	छूट प्राप्त आय	5क		
			फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5ख		
			व्यक्ति संगम/व्यष्टि निकाय से आय का अंश	5ग		
			कुल छूट प्राप्त आय	5घ		
		6	बकाया (1- 2 - 3 - 4 - 5घ)		6	
		7	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7		
		8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	8		
		9	कुल (7 + 8)	9		
		10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)		10	
		11	9 में सम्मिलित लाभ और हानि लेखा में विकलित अवज्ञायण		11	
		12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण			
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i				
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करे और आयकर नियमों की प्रशिक्षित-झक को देखें)	12ii				
	iii कुल (12i + 12ii)		12iii			
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)		13			
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 6त)	14				
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 7झ)	15				
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 8कझ)	16				

17	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग ओ आई का 9ख)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग-ओआई 11छ)	18	
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन + अननुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 33कख/ 33कखक/ 35कखख/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	22	
23	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से ब्याज जिसमें निर्वासी प्रायोजक है)	23	
24	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22+23)		24
25	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	25	
26	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची ई एसआर का मद vii (4))	26	
27	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग ओआई का 8ख)	27	
28	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग ओआई का 10)	28	
29	धारा 35 कग के अधीन कटौती	29	
	क लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम	29 क	
	ख अनुज्ञेय कटौती	29ख	
	ग लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय	29ग	
30	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	30	
31	कुल (25 + 26+27+28+29ग + 30)		31
32	आय (13+ 24 – 31)		32
33	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ	33i	
	ii धारा 44कड	33ii	
	iii धारा 44कच	33iii	
	iv धारा 44ख	33iv	
	v धारा 44खख	33v	
	vi धारा 44खखक	33vi	
	vii धारा 44खखख	33vii	
	viii धारा 44घ	33	
	ix धारा 44घक	33ix	
	x अध्याय-XII-छ	33x	
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची	33 xi	
	xii कुल(33i से 33xi)		33xii
34	धारा 10क/10कक/10ख/10खक के अधीन कटौती से पूर्व लाभ या हानि (32 + 33x)		34
35	निम्नलिखित के अधीन कटौतियां-		
	i 10क (अनुसूची 10क का 6)	35i	
	ii 10कक (अनुसूची 10कक का घ)	35ii	
	iii 10ख (अनुसूची 10ख का च)	35iii	
	iv 10खक (अनुसूची 10खक का च)	35iv	
	v योग (35 i+ 35 ii+ 35 iii+ 35 iv)		35v
36	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34– 35v)		36
37	नियम 7क, 7ख या 7ग लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि		अ 37
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना		
	38 लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		38
	39 धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		39
	40 धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां		40
	41 सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (38+39-40)		आ
इ	‘लाभ और हानि’ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ 37 + आ 41)		

अनुसूची-संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण

संयंत्र और मशीनरी पर अवक्षयण	1	संयंत्र और मशीनरी						
	2	15	30	40	50	60	80	100
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	आस्ति-समूह							
	रेट (%)							
	3 पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य							
	4 पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5 3या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली							
	6 वह रकम जिस पर पूर्ण दर पर अवक्षयण अनुज्ञात किया जाना है (3 + 4 -5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो)							
	7 पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8 7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली							
	9 वह रकम जिस पर आधी दर पर अवक्षयण अनुज्ञात किया जाना है (7-8) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो)							
	10 6 पर पूरी दर से अवक्षयण							
	11 9 पर आधी दर पर अवक्षयण							
	12 4 पर अतिरक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
	13 7 पर अतिरक्त अवक्षयण, यदि कोई हो							
	14 कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)							
	15 आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय							
	16 धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि* (5 + 8 -3-4 -7 -15) (नकारात्मक लिखें यदि ब्लाक विद्यमान नहीं रहता है)							
	17 पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य* (6+ 9 -14) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक हो)							

अनुसूची-अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

	1	भवन			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	5	10	100	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	आस्ति-समूह						
	रेट (%)						
	3 पूर्व वर्ष के पहले दिन को अवलिखित मूल्य						
	4 पूर्व वर्ष में 180 दिन या अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
	5 3या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
	6 रकम जिस पर अवक्षयण पूर्ण दर पर अनुज्ञात है (3+4-5) (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
	7 पूर्व वर्ष में 180 दिन से अन्यून की अवधि के लिए परिवर्धन						
	8 7 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य वसूली						
	9 रकम जिस पर अवक्षयण आधी दर पर अनुज्ञात है 7-8 (शून्य लिखें यदि परिणाम नकारात्मक है)						
	10 6 पर पूरी दर से अवक्षयण						
	11 9 पर आधी दर पर अवक्षयण						
	12 4 पर अतिरक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
	13 7 पर अतिरक्त अवक्षयण, यदि कोई हो						
	14 कुल अवक्षयण* (10+11+12+13)						
	15 आस्ति/आस्तियों के अंतरण के संबंध में उपगत व्यय						

16	घारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाम/हानि' (5 + 8 -3-4 -7 -15)					
17	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को अवलिखित मूल्य' (6+ 9 -14)					

अनुसूची-आस्तियों पर अवक्षयण का सार आस्तियों पर अवक्षयण का सार

आस्तियों पर अवक्षयण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
		क	15 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14i)	1क		
		ख	30 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	1ख		
		ग	40 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14iii)	1ग		
		घ	50 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14iv)	1घ		
		ङ	60 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14v)	1ङ		
		च	80 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14vi)	1च		
		छ	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14vii)	1छ		
		ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)		1ज	
		2	भवन			
		क	5 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14i)	2क		
		ख	10 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14ii)	2ख		
		ग	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-14iii)	2ग		
		घ	भवन पर कुल अवक्षयण (2क + 2ख + 2ग)		2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए -14iv)			3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए -14v)			4	
	5	पोत(अनुसूची डीओए -14vi)			5	
	6	कुल अवक्षयण (1ज+2घ+3+4+5)			6	

अनुसूची-डीसीजी अवक्षयणीय आस्तियों के विक्रय पर समझे गए पूंजी अभिलाम

आस्तियों पर अवक्षयण का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
		क	15 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16i)	1क		
		ख	30 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16ii)	1ख		
		ग	40 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16iii)	1ग		
		घ	50 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16iv)	1घ		
		ङ	60 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16v)	1ङ		
		च	80 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16vi)	1च		
		छ	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीपीएम-16vii)	1छ		
		ज	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ+1च+1छ)		1ज	
		2	भवन			
		क	5 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीओए -16i)	2क		
		ख	10 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीओए -16ii)	2ख		

ग	100 प्रतिशत की दर से अवक्षयण के लिए पात्र समूह (अनुसूची डीओए -16ii)	2ग	
---	--	----	--

घ	भवन पर कुल अवक्षयण	2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीपीएम-16iv)	3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीपीएम-16v)	4	
5	पोत(अनुसूची डीपीएम-16vi)	5	
6	योग (1ज+2घ+3+4+5)	6	

अनुसूची इ/एसआर

धारा 35 के अधीन कटौती

क्र. सं.	धारा	लाम और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाम और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iii)			
iv	35(1)(iv)			
v	35(2अअ)			
vi	35(2अआ)			
vii	योग			

अनुसूची-पूँजी अभिलाम

पूँजी अभिलाम

पूँजी अभिलाम	अ अल्पकालिक पूँजी अभिलाम				
	1	मंद विक्रय से			
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क	
		ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख	
		ग	मंद विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाम	1ग	
		घ	धारा 54ख/54घ/54ङ/54च/54छक के अधीन कटौती	1घ	
		ङ	मंद विक्रय से शुद्ध अल्पकालिक पूँजी अभिलाम	1ङ	
	2	अनिवासी की दशा में, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है, आस्तियों से			2
	3	अन्य आस्तियों से			
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क	
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
		i	अर्जन की लागत	खा	
		ii	सुधार की लागत	खाii	
		iii	अंतरण पर व्यय	खाiii	
		iv	योग (खा+ JEii+ JEiii)	खाiv	
		ग	बकाया (3क-खाiv)	3ग	
		घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन उपेक्षा की जाने वाली हानि, यदि कोई हो (केवल धनात्मक मूल्य लिखें)	3घ	
		ङ	धारा 54ख/54घ के अधीन छूट	3ङ	
		च	अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (3ग+3घ-3ङ) (शून्य लिखें यदि हानि है)	3च	
	4	अवक्षयी आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (अनुसूची-डीसीजी का 6)			4
	5	धारा 54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54क के अधीन अल्पकालिक पूँजी अभिलाम समझी गई रकम			5
	6	कुल अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (1ङ+2+3च+4+5)			6
	7	6 में सम्मिलित धारा 111क के अधीन अल्पकालिक पूँजी अभिलाम			7
	8	धारा 111क में निर्दिष्ट से भिन्न अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (6-7)			अ8
	आ दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम				
	1	मंदी में विक्रय से			
		क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क	
		ख	उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य	1ख	
	ग	मंदी में विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम	1ग		
	घ	धारा 54ख/54घ/54ङ/54च/54छ/54क के अधीन	1घ		
	ङ	मंद विक्रय से शुद्ध दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (1ग-1घ)	1ङ		
2	अनिवासी की दशा में, जिसे धारा 48 का पहला परंतुक लागू होता है, आस्ति			2	
3	आस्तियों से, जिनके लिए 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया				
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खा		
	ii	सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खाii		
	iii	अंतरण पर व्यय	खाiii		
	iv	योग (खा+खाii+खाiii)	खाiv		
	ग	अतिशेष (3क-खाiv)	3		

	घ	धारा 54ख/54घ/54ङग/54छ/54क के अधीन कटौती	3घ	
	ङ	शुद्ध अतिशेष (3ग-3घ)		3ङ
4	अन्य आस्तियों से, जिनके लिए 112(1) के परंतुक के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया			
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	3क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खा	
		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खाii	
		अंतरण पर व्यय	खाiii	
योग (खा+खाii+खाiii)		खाiv		
ग	अतिशेष (4क-खाiv)	4ग		
	घ	धारा 54ख/54घ/54ङग/54छ/54क के अधीन कटौती	4घ	
	ङ	शुद्ध अतिशेष		4ङ
5	धारा 54ख/54घ/54ङग/54छ/54क के अधीन कटौती			5
6	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ङ+2+3ङ+4ङ+5) । (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है)			आ6
इ	“पूजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन पूंजी अभिलाभ (अ6 3 आ 6) (आ6 के लिए शून्य यदि हानि हो)			इ
ई	पूंजी अभिलाभ के प्रोद्भूत होने/प्राप्ति के बारे में जानकारी			
	तारीख	15/9 तक (i)	16/9 से 15/12 तक (ii)	16/12 से 15/3 तक (iii)
				16/3 से 31/3 तक (iv)
1	दीर्घकालिक			
2	अल्पकालिक			

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

अन्य स्रोत	1	घुड़दौड़ के स्वामित्व से भिन्न आय			
	क	लाभांश, सकल	1क		
		ब्याज, सकल	1ख		
		मशीनरी, संयंत्र, भवन से किराए की आय	1ग		
		अन्य, सकल	1घ		
	ङ	योग (1क+1ख+1ग+1घ)			1ङ
	च	धारा 57 के अधीन कटौती			
	i	व्यय	चा		
		अवक्षयण	चाii		
		योग	चाiii		
	छ	अतिशेष (1ङ-चाiii)			1छ
	2	लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़ आदि से जीत			2
	3	अन्य स्रोत से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (1छ+2)			3
	4	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से आय			
	क	प्राप्तियां	4क		
(4) के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां		4ख			
अतिशेष (2क-2ख)				4ग	
5	“अन्य स्रोत से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (3+4ग) (यदि हानि है तो 4ग को शून्य दिखाए और 4ग की हानि को अनुसूची सीएफएल में दिखाए)			5	

अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति हानि		मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे की हानि से भिन्न)		मुजरा की गई चालू वर्ष की अन्य स्रोत से हानि (घुड़दौड़ से हानि से भिन्न)		मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
			कुल हानि (अनुसूची-एचपी का 4ग)		कुल हानि (अनुसूची-बीपी का अ37)		कुल हानि (अनुसूची-ओएस का 3)		
		1	2		3		4		5=1-2-3-4
i	गृह संपत्ति								
ii	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टे का लाभ भी है)								
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ								
iv	दीर्घकालिक अभिलाभ								
v	अन्य स्रोत (घुड़दौड़ का स्वामित्व से लाभ सहित)								
vi	मुजरा की गई कल हानि								
vii	मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि								

अनुसूची-बीएफएलए पूर्व वर्षों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात्	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय	
		1	2	3	4	5	
i	गृह संपत्ति						
ii	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टे का लाभ भी है)						
iii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ						
iv	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ						
v	अन्य स्रोत (घुड़दौड़ के स्वामित्व से लाभ सहित)						
vi	योग						
vii		योग (i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v 5)					

अनुसूची-सीएफएल भावी वर्षों को अग्रनयन की जाने वाली हानि के ब्यौरे

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि	सट्टे के कारबार से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	अन्य स्रोत हानि (घुड़दौड़ से हानि से भिन्न)	अन्य स्रोत हानि (घुड़दौड़ के स्वामित्व से)
i	2001-02								
ii	2002-03								
iii	2003-04								
iv	2004-05								
v	2005-06								
vi	2006-07								
vii	2007-08								
viii	2008-09								
ix	पूर्ववर्ष की हानियों का योग								
x	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन								
xi	2009-10 (चालू वर्ष की हानि)								
xii	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि								

अनुसूची-10क धारा 10क के अधीन कटौती

धारा 10क के अधीन कटौती	1	साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क	उपक्रम सं0 1	1क		
	ख	उपक्रम सं0 2	1ख		
	ग	उपक्रम सं0 3	1ग		
	घ	उपक्रम सं0 4	1घ		
	ङ	उपक्रम सं0 5	1ङ		
	च	योग (1क+1ख+1ग+1घ+1ङ)		1च	
	2	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क	उपक्रम सं0 1	2क		
	ख	उपक्रम सं0 2	2ख		
	ग	उपक्रम सं0 3	2ग		
	घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ	
	3	मुक्त व्यापार क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क	उपक्रम सं0 1	3क		
	ख	उपक्रम सं0 2	3ख		
	ग	उपक्रम सं0 3	3ग		
	घ	योग (3क+3ख+3ग)		3घ	
	4	निर्यात प्रसंस्करण जाने में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क	उपक्रम सं0 1	4क		
	ख	उपक्रम सं0 2	4ख		
ग	उपक्रम सं0 3	4ग			

	घ योग (4क+4ख+4ग)		4घ	
5	विशेष आर्थिक प्रसंस्करण जाने में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती			
	क उपक्रम सं0 1	5क		
	ख उपक्रम सं0 2	5ख		
	ग उपक्रम सं0 3	5ग		
	घ योग (5क+5ख+5ग)		5घ	
6	धारा 10क के अधीन कुल कटौती (1च+2घ+3घ+4घ+5घ)			6

अनुसूची-10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन	विशेष आर्थिक जोन में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौतियां				
	क उपक्रम सं0 1		क		
	ख उपक्रम सं0 2		ख		
	ग उपक्रम सं0 3		ग		
	घ योग (क+ख+ग)				घ

अनुसूची-10ख धारा 10ख के अधीन कटौती

धारा 10ख के अधीन	शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों की बाबत कटौती				
	क उपक्रम सं0 1		क		
	ख उपक्रम सं0 2		ख		
	ग उपक्रम सं0 3		ग		
	घ उपक्रम सं0 4		घ		
	ङ उपक्रम सं0 5		ङ		
च योग (क+ख+ग+घ+ङ)				च	

अनुसूची-10खक धारा 10खक के अधीन कटौती

धारा 10खक के अधीन	शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों की बाबत कटौती				
	क उपक्रम सं0 1		क		
	ख उपक्रम सं0 2		ख		
	ग उपक्रम सं0 3		ग		
	घ उपक्रम सं0 4		घ		
	ङ उपक्रम सं0 5		ङ		
च योग (क+ख+ग+घ+ङ)				च	

अनुसूची-80छ धारा 80छ के अधीन कटौती के लिए पात्र संदानों के ब्यौरे

संदानों के ब्यौरे	अ	100% कटौती के लिए पात्र संदान		
		अदाता का नाम और पता		संदान की रकम
		i		आi
		ii		आii
		iii		आiii
		iv		आiv
		v		आv
		vi योग		आvi
	आ	जहां अदाता का धारा 80छ(5)(vi)के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है, वहां 50% कटौती के लिए पात्र संदान		
		अदाता का नाम और पता		संदान की रकम
		i		आi
		ii		आii
		iii		आiii
		iv		आiv
		v		आv
		vi योग		आvi
	इ	जहां अदाता का धारा 80छ(5)(vi)के अधीन अनुमोदित होना अपेक्षित है, वहां 50% कटौती के लिए पात्र संदान		
		अदाता का नाम और पता		अदाता का स्थायी लेखा सं0
				संदान की रकम
		i		इi
		ii		इii
	iii		इiii	

	iv		इiv	
	v		इv	
	vi	योग	इvi	
२०५	कुल संदान (अvi + आvi +इvi)		इ	

अनुसूची-80-झक

धारा 80-झक के अधीन कटौतियां

धारा 80-झक के अधीन कटौतियां	क धारा 80-झक(4)(i) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (अवसंरचना सुविधा)	क	
	ख धारा 80-झक(4)(ii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (दूरसंचार सेवाएं)	ख	
	ग धारा 80-झक(4)(iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन)	ग	
	घ धारा 80-झक(4)(iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ	
	ङ धारा 80-झक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन)	ङ	
	च धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती	च	

अनुसूची-80-झख

धारा 80-झख के अधीन कटौतियां

धारा 80-झख के अधीन कटौतियां	क धारा झख(3) में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम की बाबत उपक्रम की बाबत कटौती	क	
	ख जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा80झख(4))	ख	
	ग आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80झख(4))	ग	
	घ औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80झख(5))	घ	
	ङ बहुविध थियेटर की दशा में कटौती (धारा80झख(7क))	ङ	
	च कन्वेंशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा80झख(7ख))	च	
	छ वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती (धारा80झख(8क))	छ	
	ज ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा80झख(9))	ज	
	झ गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(10))	झ	
	ञ प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11))	ञ	
	ट फल और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11क))	ट	
	ठ अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11क))	ठ	
ड ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80झख(11ख))	ड		
ढ धारा 80झख के अधीन कुल कटौती (क से ड का योग)	ढ		

अनुसूची-80-झग या 80-झङ

धारा 80-झग या धारा 80झङ के अधीन कटौतियां

धारा 80-झग के अधीन कटौतियां	1 सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	1	
	2 हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	2	
	3 उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	3	
	4 पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती		
	क असम	4क	
	ख अरुणाचल प्रदेश	4ख	
	ग मणिपुर	4ग	
	घ मिजोरम	4घ	
	ङ मेघालय	4ङ	
	च नागालैंड	4च	
छ त्रिपुरा	4छ		
ज पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (4क से 4छ का योग)	4ज		
5 धारा 80झग या धारा 80झङ के अधीन कुल कटौती (1+2+3+4ज)	5		

अनुसूची -6क

अध्याय 6क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां	क	80छ		च	80झग (अनुसूची 80झग का 5)	
	ख	80छछक		छ	80जजक	
	ग	80छछग		ज	80झग (अनुसूची 80झग का 5)	
	घ	80झक (अनुसूची 80झक का च)		झ	80जजक	
	ड	80झख (अनुसूची 80झख का द)		ज	80त	
ट अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (क से ज का योग)						ट

अनुसूची एसआई

विशेष दर झख से आयकर से प्रभाय आय (धारा कोड और कर की दर के लिए कृपया अदेश सं0-9(iii) देखें)

क्र.सं.	धारा कोड	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय		क्र.सं.	धारा कोड	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय	
				i	उस पर कर ii					i	उस पर कर ii
1		<input type="checkbox"/>				6		<input type="checkbox"/>			
2		<input type="checkbox"/>				7		<input type="checkbox"/>			
3		<input type="checkbox"/>				8		<input type="checkbox"/>			
4		<input type="checkbox"/>				9		<input type="checkbox"/>			
5		<input type="checkbox"/>				10		<input type="checkbox"/>			
11	योग (1ii से 10ii)										

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौर (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय)

छूट प्राप्त आय	1	ब्याज आय	1	
	2	लाभांश आय	2	
	3	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाष, जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर संदत्त किया गया है	3	
	4	शुद्ध कृषि आय (नियम 7, 7क, 7ख या 8 के अधीन अपवर्जित की जाने वाली आय से भिन्न)	4	
	5	फर्म/एओपी आदि पर लाभांश	5	
	6	अन्य	6	
	7	योग (1+2+3+4+5+6)	7	

अनुसूची-एफबीआई

अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना से संबंधित जानकारी

अनुषंगी फायदा जानकारी	1	क्या आपके पास भारत में और बाहर दोनों में आधारित कर्मचारी हैं ?यदि हां, तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें	<input type="checkbox"/>
	2	यदि 1 का उत्तर हां है, तो क्या आप भारतीय और विदेशी प्रचालनों के लिए पृथक लेखा बहियां रख रहे हैं ?यदि हां, तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें	<input type="checkbox"/>
	3	कर्मचारियों की कुल संख्या	
	क	भारत में कर्मचारियों की कुल संख्या	3क
	ख	भारत के बाहर कर्मचारियों की कुल संख्या	3ख
ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	3ग	

क्र.स.	व्यय की प्रकृति		व्यय की रकम/मूल्य		प्रतिशत	अनुषंगी फायदों का मूल्य iv = ii x iii ÷ 100	
	i		ii			iii	iv
1	कर्मचारियों या उनके कुटुंब के सदस्यों की निजी यात्राओं के लिए उपलब्ध कराई गई मुफ्त या रियायती टिकटें (स्तंभ ii में मूल्य, कर्मचारी द्वारा संदत्त या उससे वसूल की गई रकम से घटाकर आई साधारण जनता के लिए टिकट की लागत होगी)	1ii			100		1iv
2	कर्मचारियों के लिए अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में अभिदाय (प्रत्येक कर्मचारी की बाबत एक लाख रुपए से अधिक)	2ii			100		2iv
3	मनोरंजन	3ii			20		3iv
4	क धारा 4ख या धारा 4ग या 4घ में निर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार में आतिथ्य	कii			20		aiv
	ख होटल के कारबार में आतिथ्य	खii			5		biv
	ग वायुयान द्वारा यात्री या माल के वहन के कारबार में आतिथ्य	गii			5		civ
	घ पोत द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में आतिथ्य	घii			5		div
5	सम्मेलन(कर्मचारियों द्वारा किसी सम्मेलन में लाभ लेने के लिए फीस से भिन्न)	5ii			20		5iv
6	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार भी है (धारा 115बख(2)(घ) के परंतुक में निर्दिष्ट विज्ञापन पर कसि व्यय को छोड़कर)	6ii			20		6iv
7	कर्मचारी कल्याण	7ii			20		7iv
8	क 8ख या 8ग या 8घ में निर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार में वाहन	कii			20		aiv
	ख संनिर्माण के कारबार में वाहन	खii			5		biv
	ग औषध के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में वाहन	गii			5		civ
	घ कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में वाहन	घii			5		div
9	क 9ख या 9ग या 9घ या 9ङ में निर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार में होटल का उपयोग, बोर्डिंग और वास सुविधाएं	कii			20		aiv
	ख औषध के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में होटल का उपयोग, बोर्डिंग और वास सुविधाएं	खii			5		biv
	ग कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में होटल का उपयोग, बोर्डिंग और वास सुविधाएं	गii			5		civ
	घ वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में होटल का उपयोग, बोर्डिंग और वास सुविधाएं	घii			5		div
10	क मोटरकारों की मरम्मत, चालू करना (ईंधन सहित), अनुस्क्षण और मोटरकार द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार से भिन्न कारबार में उस पर अवक्षयण की रकम	कii			20		aiv
	ख मोटरकारों की मरम्मत, चालू करना (ईंधन सहित), अनुस्क्षण और मोटरकार द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार में उस पर अवक्षयण की रकम	खii			5		biv
11	वायुयानों की मरम्मत, चालू करना (ईंधन सहित), अनुस्क्षण और वायुयान द्वारा यात्रियों या माल के वहन के कारबार से भिन्न कारबार में उस पर अवक्षयण की रकम	11ii			20		11iv
12	पट्टे पर टेलीफोन लाइनों पर व्यय से भिन्न टेलीफोन का प्रयोग (मोबाइल फोन सहित)	12ii			20		12iv
13	प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त वास सुविधा से भिन्न अतिथि गृह की प्रकृति की किसी वास सुविधा का अनुस्क्षण	13ii			20		13iv
14	उत्सव समारोह	14ii			50		14iv
15	स्वास्थ्य क्लब और वैसी ही सुविधाओं का प्रयोग	15ii			50		15iv
16	किसी अन्य क्लब सुविधाओं का प्रयोग	16ii			50		16iv
17	दान	17ii			50		17iv
18	अध्येतावृत्ति	18ii			50		18iv
19	पर्यटन और यात्रा (विदेश यात्रा सहित)	19ii			5		19iv
20	अनुषंगी फायदों का मूल्य (स्तंभ iv का योग)						20iv
21	यदि अनुसूची अनुषंगी फायदा जानकारी के स्तंभ 1 का उत्तर नहीं है तो अनुषंगी फायदों का मूल्य (20iv के समान)						21iv
22	यदि अनुसूची अनुषंगी फायदा जानकारी के 2 का उत्तर है तो अनुषंगी फायदों का मूल्य (20iv के समान)						22iv
23	यदि अनुसूची अनुषंगी फायदा जानकारी के 2 का उत्तर नहीं है तो अनुषंगी फायदों का मूल्य (अनुषंगी फायदा जानकारी का 20iv x 3क ÷ अनुषंगी फायदा जानकारी का 3ग)						23iv
24	अनुषंगी फायदों का मूल्य (यथास्थिति 21iv या 22iv या 23iv)						24iv

अनुसूची-आयकर

अग्रिम कर और आयकर के स्वतः निर्धारण कर संदायों के ब्यौरे

कर संदाय	क्र.सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं०	रकम (₹)
	i					
	ii					
	iii					
	iv					
	v					

टिप्पण ► भाग ख-टीटीआई के क्र०सं० 11क और 11घ में अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें ।

अनुसूची- स्रोत पर कर कटौती 2

अन्य आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [नियोजक द्वारा जारी प्ररूप 16क के अनुसार]

अन्य आय पर स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती खाता संख्या (टेन)	यूनीक संव्यवहार संख्यांक (यूटीएन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	संदत्त रकम	संदाय/जमा की तारीख	स्रोत पर कटौती किया गया कर	(6) से रकम जिसका इस वर्ष के लिए दावा किया गया है
	(1)	(2)	(8)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
i								
ii								
iii								

टिप्पण भाग ख टीटीआई के अनुसूची टीडीएस 1 और टीडीएस 2 के सतभ 7 का योग प्रविष्ट करें

अनुसूची-टीसीएस

अन्य आय से स्रोत पर कटौती किए गए कर का ब्यौरा [प्ररूप 27घ के अनुसार]

आय के स्रोत पर संग्रहित कर	क्र. सं.	कटौतीकर्ता का कर कटौती संख्यांक (टीएएन)	यूनीक संव्यवहार संख्यांक (यूटीएन)	कटौतीकर्ता का नाम और पता	क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी के खाते में प्राप्त/ विकलित रकम	वह तारीख जिस को क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टाधारी के खाते में रकम प्राप्त/ विकलित हुई	अधिभार और शिक्षा उपकर सहित संगृहित कर	वर्ष के दौरान (6) में से प्रत्यय के रूप में अनुज्ञात की गई रकम
	(1)	(2)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i								
ii								
iii								

टिप्पण :- भाग ख-टीटीआई के क्रम संख्या 11ग में स्तंभ का योग प्रविष्ट करें ।

अनुसूची एफबीटी

अनुषंगी फायदा कर के संदाय के ब्यौरे

कर संदाय	क्र.सं.	बैंक और शाखा का नाम	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम सं०	रकम (₹)
	i					
	ii					
	iii					
	iv					
	v					

भाग-ग के 8क और 8ख में v का योग प्रविष्ट करें ।